राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2015 ग्राम पंचायत खीमाखेडा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत खीमाखेडा

प्रकरण सं. – 90/2014 रेवा | निर्णय दिनांक – 26.06.2015

अनवान

1. श्री दलाराम पिता खंगाराजी जाति कुम्हार निवासी खीमाखेडा तहसील भीम
2. श्री छोगालाल पिता खंगाराजी जाति कुम्हार निवासी खीमाखेडा तहसील भीम
3. श्री केसु पिता खंगाराजी जाति कुम्हार निवासी खीमाखेडा तहसील भीम
4. श्री पेमाराम पिता रामलाल जाति कुम्हार निवासी खीमाखेडा तहसील भीम
5. श्रीमती चुनी देवी पत्नी रामलाल जाति कुम्हार निवासी खीमाखेडा तहसील भीम
6. श्री नरेश कुमार पिता रूपाराम जाति कुम्हार निवासी खीमाखेडा तहसील भीम
7. श्रीमती अणसी देवी पत्नी रूपाराम जाति कुम्हार निवासी खीमाखेडा तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. भू–स्वामी श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

<u>वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीए</u>

मौजा खीमाखेडा पटवार क्षेत्र खीमाखेडा तहसील भीम में निम्न वर्णित आराजियात आई हुई है –

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
8419	01.05.00	बारानी
8420	00.04.00	बारानी
8421	00.17.22	चाही
8424	00.14.10	चाही

कुल किता 4 कुल रकबा 03.00.10 बीघा

निम्न व्यक्तियों श्री रामसिंह पुत्र भैरू सिंह, सुजानसिंह पुत्र रामसिंह, पांचासिंह पुत्र भैरूसिंह, अमरसिंह पुत्र सुरतसिंह, भैरूसिंह पुत्र उमसिंह, पन्नासिंह पुत्र रूपसिंह, हीरासिंह पुत्र मादूसिंह, मेटसिंह पुत्र दलासिंह, मन्नासिंह पुत्र रूपसिंह, गोदसिंह पुत्र अमरसिंह, मकनसिंह पुत्र कलासिंह, गोकलसिंह पुत्र अमरसिंह एंव चतरसिंह पुत्र मालसिंह के नाम पर ने तत्कालीन खातेदार काश्तकार जो मौजा शामलाती थोक धोरण के सदस्य थे कि मौजा छापली, पटवार क्षेत्र छापली, तहसील भीम के गत आराजी नम्बर 978, 979, 980, 983, 977 कृषि भूमि स्थित थी। उक्त वर्णित आराजियात के हाल आराजी नम्बर आराजी नम्बर 8421, 8420, 8419, 8424 बने है। उक्त वर्णित आराजियात के तत्कालीन खातेदार एवं कब्जेदार ने वादीगण दला, छोगा, केसू तथा रामलाल व रूपा को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा राशि रूपये 3000/– तीन हजार रूपये में बेचान कर दी थी व उसी समय कब्जा भी वादीगण को सुपुर्द कर दिया था। तब से उक्त भूमि वादीगण के कब्जे में चली आ रही है व वादीगण निरन्तर शान्तिपूर्वक काश्त कर उपयोग चले आ रहे है। उसके पश्चात प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण सं' 323 भी भरा गया था व उसको गिरदावर साहब द्वारा पुष्टि करने के पश्चात उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया था व उस आधार पर जमाबन्दी में भी सम्वत 2060 से 2063 पर इन्द्राज भी कर दिया गया था। इसके पश्चात अगली जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 में भी वादीगण के खाते चली आ रही थी।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प खीमाखेडा मे पेश हुआ।** वादी का वाद तहसीलदार भीम के जवाब अनुसार राजस्व अभिलेख में सम्बन्धित भूमि किसी व्यक्ति विशेष के नाम खातेदारी दर्ज नही होकर शामलाती थोक धोरण खातेदार दर्ज है जिसका किसी व्यक्ति विशेष निष्पादित किया गया विक्रयपत्र विधिक परिपेक्ष मे स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अतः वादी का वाद खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमन्द